

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी: 29/2016

प्रार्थी –

1. श्री शिवराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति पटेल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिए सरपंच, तहसील लूणी।
2. जयरूपराम पुत्र श्री सांवलराम, जाति पटेल
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 भूमि पट्टा विक्रय विलेख सं. 34 में ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दिनांक 20.02.2008 जारी किया गया।

पंचायत निगरानी: 30/2016

प्रार्थी –

1. श्री शिवराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति पटेल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिए सरपंच, तहसील लूणी।
2. देवाराम पुत्र जोगाराम जाति पटेल,
3. पोलाराम पुत्र रावतराम जाति पटेल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 भूमि पट्टा विक्रय विलेख सं. 31 जो मिसल संख्या 31 में ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दिनांक 20.02.2008 को जारी किया गया।

पंचायत निगरानी: 31/2016

प्रार्थी –

1. श्री शिवराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति पटेल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिए सरपंच, तहसील लूणी।
2. किस्तुराराम पुत्र श्री पुनाराम जाति बारूपाल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 भूमि पट्टा विक्रय विलेख सं. 32 जो मिसल संख्या 32 में ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दिनांक :- 20.02.2008 को जारी किया गया।

पंचायत निगरानी: 32/2016

प्रार्थी –

1. श्री शिवराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति पटेल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. सालगराम पुत्र श्री राणाराम जाति पटेल,
3. राजेश पुत्र श्री भेराराम जाति पटेल,
निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 भूमि पट्ट विक्रय विलेख सं. 33 जो मिसल संख्या 33 में ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दिनांक 20.02.2008 को जारी किया गया।

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री मोतीसिंह राजपुरोहित।

–:: आ दे श ::–

दिनांक: 26.12.2017

यह चारों पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख संख्या 34 जो मिसल संख्या 34, पट्टा विलेख संख्या 31 मिसल संख्या 31, दिनांक 2012/2008, पट्टा विलेख संख्या 32 दिनांक 20.08.2008, एवं पट्टा विलेख संख्या 33 मिसल संख्या 33 दिनांक 20.02.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी किया है, के पेश की है। प्रस्तुत चारों पंचायत निगरानी के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की प्रार्थना स्वीकार कर बहस एक साथ दिनांक 04.12.2017 को सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय को प्रत्येक निगरानी पत्रावली में रखी जावे।

प्रस्तुत चारों निगरानी में विद्यमान संक्षिप्त व आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मोगडा कला के सरपंच द्वारा निगरानी सं. 29/2016 में अप्रार्थी सं. दो को पट्टा विलेख सं. 34, निगरानी सं. 30/2016 में अप्रार्थी सं. दो एवं तीन, निगरानी सं. 31/2016 में अप्रार्थी सं. 02 व निगरानी सं. 32/2016 में अप्रार्थी सं. 2 व 3 को दिनांक 20.02.2008 जारी पट्टो को निरस्त करवाने हेतु निगरानी पेश की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर इसे दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो विधिक तौर से तामिल होना पाया गया।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां से मूल रेकॉर्ड प्राप्त कर निगरानी में उभय-पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत निगरानियों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर ने विवाद ग्रस्त जायदाद का पट्टा दिनांक 20.02.2008 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भुल की है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विलेख जारी करने सम्बंधित नियमों की कोई पालना नहीं कि बल्कि केवल नियमों की अवहेलना की है इस कारण पट्टा निरस्त करने योग्य होना बताया।

प्रार्थी अभिभाषक का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत ने इन मामलों में पट्टा जारी करने में गंभीर अनियमितता की है पत्रावली के अवलोकन से लगता है उक्त पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया जबकि उक्त नियम के तहत पट्टा केवल 50 वर्ष पूर्व निर्मित रहवासीय मकान का ही जारी किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जिस भू खण्ड का पट्टा जारी किया उस पर कोई मकान बना हुआ नहीं है बल्कि खाली भूखण्ड है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि सरपंच ने अप्रार्थी को जारी पट्टा के क्षेत्रफल जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों के विपरित मात्र केवल 200 रूपये में जारी कर दिया है जो किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता था बल्कि उक्त भू खण्ड केवल नीलामी के जरिये ही हस्तानरित किया जा सकता था। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को पट्टा जारी करने में संबंधित नियमों की कोई पालना नहीं कि तमाम कार्यवाही मेकेनिकल तरीका अक्तीयार करते हुए की है एवं कार्यालय में बैठ कर छपे-छापाये फार्मों पर खाना-पूर्ति कि गई है जो निरस्त योग्य है प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी का विवाद ग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा तथा आज भी नहीं है। बिना कब्जे के कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा न. 262 के उत्तर में मोगड़ा-सालावास रोड पर लाटो के रूप में स्थित है जिसका उपयोग वर्षों से लाटे निकालने के लिये प्रार्थी एवं अन्य ग्रामीण करते आ रहे है मौके पर आज भी भूमि खाली पडी है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरंतर बहस में यह भी कथन किया कि पट्टा जारी करने से पूर्व जो रिपोर्ट मंगवाई गई उसमें भी मौके पर किसी तरह का निर्माण नहीं होने का उल्लेख किया गया है

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन न. 12692/2013 झुमरराम बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर व अन्य निर्णय दिनांक 09.05.2017 कि ओर ध्यान दिला कर अवगत कराया कि ग्राम पंचायत कि आबादी भूमि में पचास वर्षों से अधिक पुराने मकान का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः उक्त निर्णय के अनुसार अप्रार्थीगण को जारी पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी स. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक श्री मोती सिंह राजपुरोहित ने अपनी मौखिक/लिखित बहस में कथन किया कि पंचायत द्वारा पट्टा वर्ष 2008 में जारी किया गया है प्रार्थी द्वारा यह निगरानी वर्ष 2016 में पेश कि है प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में आठ वर्ष पश्चात यह निगरानी पेश किये जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है न ही मयाद अधिनियम के तहत ऐसा कोई आवेदन पेश किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (डब्ल्यू एल सी राज 2000/02/पेज 312) में यह अभिनिरधारित किया गया है कि तीन वर्ष के पश्चात निगरानी के द्वारा पंचायत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि विद्वेषपूर्ण कार्यवाही का कोई तथ्य मौजूद न हो साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि निगरानी का क्षेत्राधिकार निर्धारित 3 वर्ष की मियाद में ही उपयोग में लिया जाना चाहिए।

यह है कि धारा 97 के तहत निगरानी ग्राम पंचायत की कार्यवाही के किसी प्रस्ताव के निर्णय के विरुद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है, हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए यह निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव को ही धारा 97 के तहत चुनौती दी जा सकती है, यह निगरानी प्रस्ताव के विरुद्ध पेश नहीं की गई, बल्कि अप्रार्थी व ग्राम पंचायत ने जो पट्टा विलेख का करार हुआ, उसके विरुद्ध पेश की है। धारा 11 संविदा अधिनियम के तहत करार को चुनौती धारा 97 पंचायतराज अधिनियम के तहत दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने चिरंजीलाल बनाम अतिरिक्त कलक्टर जयपुर 2002/1/डीएनजे/राज./307 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मियाद के स्पष्टीकरण के बिना धारा 97 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि तृतीय पक्ष के अधिकार निहित हो जाने पर धारा 97 के तहत निगरानी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

यह है कि हस्तगत प्रकरण में जारी पट्टा उपपंजीयक, लूणी के यहाँ दिनांक 31.03.2013 को रजिस्टर्ड किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने नगर परिषद पाली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2013/4/आरएलडब्ल्यू/3341/राज. में यह अभिनिर्धारित किया है कि विक्रय विलेख एवं पट्टा विलेख जो सम्यक रूप से रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीबद्ध किया जा चुका है ऐसे विलेखों को अपास्त व अभिलिखित करने की शक्ति केवल दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है।

प्रार्थी शिवराम के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में सालगराम व राजेश द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया है, जो विचाराधीन है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब एक ही विषयवस्तु को लेकर नियमित वाद विचाराधीन है तो निगरानी जेसी समरी प्रोसिडिंग के जरिये हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी अवगत कराया है कि उक्त चारों निगरानी में अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विक्रय विलेख हासिल करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने बैठक कार्यवाही में सूचीबद्ध किया जाता है इसके बाद प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण तीन पंचों की कमेटी का गठन किया जाता है उसके बाद उजर एतराज बाबत नोटिस भी जारी किया जाता है और आपत्ती प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत सर्वसम्मिती से पट्टा जारी करने का निर्णय पारित करती है इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही सारे नियमों की पालना करने के पश्चात ही अप्रार्थीगण को विक्रय विलेख जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्यों के विरुद्ध जाकर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत कि गई है।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकॉर्ड का भी अध्ययन किया इन चारों पंचायत निगरानियों में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है।

01. पंचायत निगरानी सं. 29/2016— अप्रार्थी जयरूपराम पुत्र सांवलराम जाति पटेल निवासी मोगड़ा कलां द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराना पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है इस आवेदन पत्र में पुराना भूखण्ड/मकान का उल्लेख नहीं है पत्रावली पर उपलब्ध आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र दिनांक 05.04.2007 निरीक्षण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है कि प्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा है भूमि का विक्रय का अस्थायी निर्णय किया गया व आपत्ति पत्र जारी किया जाये और मूल्यांकन के संबंध में भूमि विक्रय के पुराने गृह विनियमितीकरण के नियम 157(ख) के तहत जारी किया जावे।

इस पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत नक्शा फॉर्म का अवलोकन करने से यह पाया गया कि इस पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रारूप 22 (नियम 148) जो प्रस्तावित भूमि विक्रय लेख के आपति बाबत जारी नोटिस का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त नोटिस का चर्चा कहाँ पर किया गया और किसके अरुबरू किया गया इस आशय की रिपोर्ट नोटिस पर उपलब्ध नहीं है इस प्रकरण पत्रावली पर उपलब्ध बयान फॉर्म का अवलोकन करने पर बयानकर्ता ने जाहिर किया जयरूपराम पुत्र सांवलराम का अपना कब्जाशुदा बाडा जो कि ग्राम मोगडा कला में आया हुआ है इस पर किसी अन्य का कोई कब्जा नहीं है

02. निगरानी सं. 30/2016— इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली सं. 31 का अवलोकन किया गया इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2007 आवेदनकर्ता केवलराम एवं पोलाराम के हस्ताक्षर है उक्त आवेदन पत्र में ओवर राइटिंग की गई है इसी पत्रावली में आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र हेतु तीन पंचों की कमेटी की रिपोर्ट में यह मुल्यांकन किया गया है कि भूमि विक्रय के पुराने गृह नियमितीकरण नियम 157(ख) के तहत शिफारिश की है उक्त मौका निरीक्षण कमेटी के तीन सदस्य के स्थान पर दो सदस्य के ही हस्ताक्षर है इस प्रपत्र में भी क्षेत्रफल के संबंध में ओवर राइटिंग की गई है इस मूल पत्रावली पर विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का जो नक्शा बनाया गया है उस नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1333.33 वर्ग गज अंकित किया गया है इसी प्रकार आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपतियां आमत्रित करने की सूचना जो दिनांक 05.04.2007 को जारी किया गया उक्त सूचना किसके द्वारा चर्चा कि गई ओर कहाँ की और कौनसी दिनांक को की गई इसका उल्लेख नहीं है इस नोटिस में भी कांट-छांट की गई है पत्रावली पर उपलब्ध बयान अनुसार अप्रार्थीगण का पुशतैनी कब्जा शुदा बाडा होने की ताहिद की गई है।

03. निगरानी सं. 31/2016— इस प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संधारित पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रति का अवलोकन करने पर हासिल करने भूमि विक्रय विलेख जो अप्रार्थी द्वारा दिनांक 05.01.2007 को ग्राम पंचायत में आवेदन किया इस प्रकरण में आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि विक्रय के पुराने गृह विनियमितीकरण नियम 157(ख) के तहत जारी करने की मुल्यांकन किया गया इस पर मौका निरीक्षण के दो सदस्य के ही हस्ताक्षर है पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत नक्शा फॉर्म का अवलोकन करने से यह पाया गया कि नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं है उस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 555.55 वर्गगज अंकित किया हुआ है।

आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपतियां आमंत्रित करने का जो नोटिस दिनांक 05.04.2007 को जारी किया गया यह नोटिस किस के द्वारा कहां पर और किस दिनांक को चर्चा किया गया इसका विवरण अंकित नहीं है ।

04. निगरानी सं. 32/2016— इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली सं. 33 का अवलोकन करने पर यह स्थिति सामने आयी की अप्रार्थी सालगराम व राजेश द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.01.2007 को पट्टा हासिल करने हेतु आवेदन किया इसी प्रकरण में आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र का अवलोकन किया इसमें यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का 40 वर्षों पुराना कब्जा है भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लिया गया और भूमि विक्रय के पुराने गृह विनियमितिकरण नियम 157(ख) के तहत मुल्यांकन किया गया इस निरीक्षण प्रपत्र पर दो सदस्य के हस्ताक्षर हैं जबकि तीन सदस्यों की कमेटी गठित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत नक्शा फॉर्म का अवलोकन करने से यह पाया गया कि नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं है उस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गगज अंकित किया हुआ है आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपतियां आमंत्रित करने का जो नोटिस दिनांक 05.04.2007 को जारी किया गया यह नोटिस किस के द्वारा कहां पर और किस दिनांक को चर्चा किया गया इसका विवरण अंकित नहीं है ।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 पुराने गृहों को विनियमितिकरण – यहाँ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के कारण पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:—

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रुपये

(ख) 50 वर्षों का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रुपये

परन्तु गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को सूची में सम्मिलित परिवार के लिये खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई राशि देय नहीं होगी तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत कुल देय राशि का 10 प्रतिशत देय होगा।

इन चारों पंचायत निगरानियों में ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत विक्रय विलेख जारी किये गये। नियम 157(ख) के अनुसार 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रुपये लेकर पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है। इन चारों पंचायत निगरानी में अप्रार्थी सं. 2 व 3 के किसी के भी 50 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। मौका जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह जाहिर किया है कि पुराना कब्जा है।

नियम 157(ख) के तहत बाडा के रूप में कब्जा का विनियमितीकरण ग्राम पंचायत द्वारा करना कानून सम्मत नहीं है तथा क्षेत्राधिकार से परे है। पत्रावली में अप्रार्थीगण के मकान बने होने का उल्लेख नहीं है बाडा के रूप में कब्जे का विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया था कि ग्राम पंचायत मोगडा कलां द्वारा जारी विक्रय विलेख (पट्टा) को अप्रार्थी ने पंजीवत करवा दिया इस कारण पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 12692/2013 नजीर दिनांक 09.05.2017 झुमरराम बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर व अन्य का अध्ययन किया इस निर्णय अनुसार रजिस्टर्ड पट्टा को निरस्त कर दिया यह निर्णय भी इन निगरानियों में चशपा होती है इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डीबी स्पेशल सं. 485/2013 निर्णय दिनांक 16.07.2015 का भी अवलोकन किया इस निर्णय अनुसार रजिस्टर्ड सेल डीड भी निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को है। ग्राम पंचायत मोगडा कलां ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नियम विरुद्ध पट्टे जारी किये।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत मोगडा कलां पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख सं. 34 मिसल सं. 34 दिनांक 20.02.2008, अप्रार्थी सं. 2 जयरूपराम पुत्र सांवलराम जाति पटेल, पट्टा सं. 31 मिसल सं. 31 दिनांक 20.02.2008 जो अप्रार्थी 2 व 3 देवाराम पुत्र जोगाराम पटेल व पोलाराम पुत्र रावतराम पटेल, पट्टा विलेख सं. 32 मिसल सं. 32 दिनांक 20.02.2008 जो अप्रार्थी सं. 2 किस्तुराराम पुत्र पूनाराम बारूपाल व पट्टा विलेख सं. 33 मिसल सं. 33 दिनांक 20.02.2008 जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 सालगराम पुत्र राणाराम पटेल व राजेश पुत्र भैराराम पटेल को जारी किये है एतद् द्वारा पट्टा खारिज किये जाते है। इसकी पालना विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी अपने स्तर सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत करें।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक : 26.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।